निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 97 / 2022
दायरा दिनांकः–22.11.2022
निर्णय दिनांकः– 5.8.24

उनवान

1. प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गायत्री बाई आयु 45 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि छोटुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मंजुबाई आयु 30 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा हाल तारज पोस्ट तारज तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
4. कमला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. अजय आयु 15वर्ष पुत्र स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद सरपरस्त वली माता मंजुबाई निवासी देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
6. मंजु आयु 35 वर्ष पत्नि स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 5.8.24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री बृजराज सिंह – वादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खाता नम्बर 182 की खसरा नम्बर 304 रकबा 05 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके माल कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0) में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य शामलाती खातेदारी में चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त परिवार है उपरोक्त आराजी संयुक्त परिवार की है एवं पैत्रक है वादी के पिता प्रभुलाल की मृत्यु के पश्चात् वादी का नाम दर्ज हुआ तथा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

के पिता, पति दादा व ससुर की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादीगण का नाम दर्ज जमाबन्दी हुआ है। उपरोक्त पैत्रिक आराजियात संयुक्त परिवार की है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समान हिस्सा है तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आज से लगभग 40 वर्षपूर्व पंचो द्वारा पारिवारिक बंटवारा हो चुका है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य बेरोकटोक बिना किसी आपत्ति के आज से लगभग 40 वर्षो से खातेदारी व कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। वादी व प्रतिवादीगण के मध्य लंबे अर्से से उक्त आराजी शामलाती खातेदारी में चली आ रही है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी के विकास के0सी0सी0 सहित अन्य कई राजकीय कार्य करने में बाधा उत्पन्न हो रही है। उक्त आराजी के आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी उत्तर दिशा पर कब्जा काश्त कर रहा है तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा दक्षिण दिशा पर स्थित है। उक्त बंटवारें के आधार पर वादी व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में बंटवारा होना आवश्यक है तथा प्रतिवादी क्रम 7 लेण्ड होल्डर होने की वजह से पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण जब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी पर मेड तोडकर वादी के हिस्से की आराजी पर दिनांक 18.11.2022 को हांक जोत कर कब्जा करने का प्रयास किया। तब वाद कारण उत्पन्न हुआ। वादी के पास न्यायालय में बंटवारे का वाद प्रस्तुत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही है तथा विधिवत बंटवारा होने तक प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजी को हस्तांतरण नही करें और वादी को उसके कब्जे से बेदखल नही करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध दिनांक 22.09.2023 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 182 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम कडैयानोहर पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 प्रेमनारायण के बयान कराये गये .

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया गया वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी में है वादी एवं प्रतिवादी संयुक्त परिवार के साक्ष्य है विवादित आराजी पैत्रक है विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगए के मध्य लगभग 40 वर्ष पूर्व पारिवारिक बंटवारा हो चुका था पारिवारिक बंटवारे के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है बिना बंटवारा कराये अपनी भूमि का विकास नही हो पा रहा है भूमि का विकसित करने हेतु बंटवारा कराया जाना अति आवश्यक है वादी का वाद स्वीकार कर वादी की भूमि को मौके पर कब्जे एवं हिस्से अनुसार पृथक पृथक विभाजन किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत 2075–78 खाता संख्या 182 के अनुसार वादी 1/2 हिस्सा दर्ज है इससे यह

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

साबित होता है कि विवादित आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा दर्ज है जिसे वादी पृथक–पृथक विभाजन कराना चाहता है प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर विवादित आराजी से सम्बन्धित कोई पक्ष या जवाव प्रस्तुत नही किया। वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 304 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व रास्ते की व्यवस्था करतें हुए पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है। तद्नुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 97 / 2022	धारा 53,188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः— 05.08.2024
समक्षः **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः—श्री बृजराज सिंह —वादी	अभिभाषक प्रतिवादी—श्री	

वाद शीर्षक

उनवान

1. प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. गायत्री बाई आयु 45 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि छोटुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. मंजुबाई आयु 30 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा हाल तारज पोरट तारज तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
4. कमला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
5. अजय आयु 15वर्ष पुत्र स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद सरपररत वली माता मंजुबाई निवासी देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
6. मंजु आयु 35 वर्ष पत्नि स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 304 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी व रास्ते की व्यवस्था करतें हुए पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव भिजवाने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जाता है।" ।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **05.08.2024** को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबडा जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबडा (बारां)

		व्ययानुतोष	
क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र / लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य / क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

विविध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 97/2022	धारा अन्तर्गत 53 188 आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 15.01.2025
समक्ष : श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादीः–श्री बृजराज सिंह	अभिभाषक प्रतिवादीः–	

वाद शीर्षक

उनवान

प्रेमनारायण आयु 55 वर्ष पुत्र प्रभुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम कडैयानोहर

बनाम

1. मुकेश आयु 35 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला
2. गायत्री बाई आयु 45 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि छोटुलाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा
3. मंजुबाई आयु 30 वर्ष पुत्री धन्नालाल पत्नि महावीर जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा हाल तारज पोस्ट तारज तहसील खानपुर जिला झालावाड (राज0)
4. कमला बाई आयु 70 वर्ष पत्नि धन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा
5. अजय आयु 15वर्ष पुत्र स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद सरपरस्त वली माता मंजुबाई निवासी देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां (राज0)
6. मंजु आयु 35 वर्ष पत्नि स्व0 मुकुट बिहारी जाति धाकड निवासी खांखरा तहसील छबडा हाल निवासी ग्राम देवरीजोध तहसील छीपाबडौद जिला बारां
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां राज0

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि:–

विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकवा	लगान	दिशा
1. प्रेमनारायण पुत्र प्रभूलाल जाति धाकड सा0देह	304	0.6955		उत्तर
	किता 1	0.6955 है	–	–
मुकेश पुत्र धन्नालाल, गायत्री, मंजुबाई, पुत्रिया धन्नालाल, कमला बाई, पत्नि स्व0 धन्नालाल हिस्सा 4/5 जाति धाकड सा0देह खांखरा नाबा0 अजय पुत्र मुकुटबिहारी, मंजू बाई पत्नि स्व0 मुकुअ बिहारी हिस्सा 1/5 जाति धाकड सा0देह सेतकोलु,	304/2	0.6956		
	किता 1	0.6956 है0	–	– दक्षिण

उपरोक्तनुसासर विवादित आराजी पक्षकारान के मध्य पृथक–पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार छबडा को आदेशित किया जात है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 15.01.2025 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला–बारां

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		